

प्रेषक,

पंजीकृत

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक
राजदीप महिला महा०,
कैलहट, मिर्जापुर।

पत्रांक- निजी बी०टी०सी०/ 130-033

/2021-22, दिनांक : 06/9/2021

विषय- निजी बी०टी०सी०/डी०एल०एड० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के धन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.09.19 के संदर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार त्याग पत्र के फलस्वरूप रिक्त पद के प्रति निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्ति करायी गयी पत्रावली में धन समिति द्वारा धनित/संस्तुत स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित संकाय सदस्यों का अनुमोदन इस प्रतिपत्र के साथ प्रदान किया जाता है कि एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में अथवा योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर एवं अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्रम०स०	नाम	पदनाम	आधार न०
1	अर्चना सिंह (पि. जाति)	विभागाध्यक्ष	723068065402
2	सदीप कुमार सिंह	प्रवक्ता भाषा	243485996619
3	विश्वास शर्मा	प्रवक्ता शिक्षा का आधार	751500962080
4	अकशेस कुमार राय (पि. जाति)	प्रवक्ता संगीत	304000719594

प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सत्यापन की प्रति उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में आपका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ०स० -निजी बी०टी०सी०/

/2021-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
03. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर।

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/चेयरमैन
राजदीप स्मारक समिति
कैलहट, मीरजापुर।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-२५६/१३१३-१६ /2012-13 दिनांक 15-6-12
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 123/डी०ई०एल०ई०डी०/बी०टी०सी०/2011-12 दिनांक 05.05.2012 के संदर्भ में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा इसमें अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| x1. श्रीमती प्रतिभा कुमार | प्राचार्य/विभागध्यक्ष |
| 2. अर्चना सिंह | प्रवक्ता आचार्य |
| 3. शैलेन्द्र कुमार सिंह | प्रवक्ता प्रविधि |
| 4. रामदुलारी (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| x5. सुनील कुमार सिंह (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| x6. छवि लाल (अनुसूचित जाति) | प्रवक्ता कला |
| 7. श्री राजेन्द्र सिंह राजू | प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा |
| 8. दिनीता सिंह | कम्प्यूटर आपरेटर |
| 9. श्री पारस नाथ | पुस्तकालयाध्यक्ष |

भवदीय

m. 15.6.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-२ / /2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति 20/198 कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, पटहराकलां, मीरजापुर।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।